



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239687
CG-DL-E-15102022-239687

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944

No. 519]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

फा.सं. 18-31/14296-आईएनसी.— भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, **हेल्थ वर्कर (महिला) ट्रेनिंग सेंटर, शाहजहाँपुर, जिला शाहजहाँपुर – 242001, उत्तर प्रदेश**, एएनएम कोर्स चलाने के लिए उत्तर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, प्रधान सचिव, (एच एंड एफडब्ल्यू) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 5वां तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, विधान सभा रोड, हज़रतगंज, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-31/14296-आईएनसी दिनांक 22/03/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 22/03/2021 की एक प्रति **हेल्थ वर्कर (महिला) ट्रेनिंग सेंटर, शाहजहाँपुर, जिला शाहजहाँपुर – 242001, उत्तर प्रदेश** भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, परिषद् को **हेल्थ वर्कर (महिला) ट्रेनिंग सेंटर** के मामले के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि संस्थान **हेल्थ वर्कर (महिला) ट्रेनिंग सेंटर** ने जारी किये गए नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। **हेल्थ वर्कर (महिला) ट्रेनिंग सेंटर** ने 2010 से एएनएम कोर्स के लिए प्रवेश नहीं लिया है। परिषद् के नियमों में प्रावधान है कि यदि किसी संस्थान ने लगातार 2 वर्ष तक प्रवेश नहीं लिया है, तो उक्त संस्थान को बंद माना जाएगा।

अब, इसलिए परिषद, नियमों के अनुसार, घोषणा करती है कि 25/06/2022 से हेल्थ वर्कर (महिला) ट्रेनिंग सेंटर को राज्य सरकार के आदेश के अधीन बंद संस्था माना जाएगा।

ले. कर्नल(डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./341/2022-23]

**INDIAN NURSING COUNCIL
WITHDRAWAL ORDER**

New Delhi, the 14th October, 2022

F.No. 18-31/14296-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Health Worker (Mahila) Trg. Centre** situated at **Shahjahanpur, Dist. Shahjahanpur – 242001, Uttar Pradesh** is recognized by State Government of Pradesh and Uttar Pradesh Nurses & Midwives Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-31/14296-INC dated 22/03/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary (H&FW), Department of Health and Family Welfare, Government of Uttar Pradesh, 05th Floor, Vikas Bhawan, Janpath Market, Vidhan Sabha Road, Hazratganj, Lucknow – 226001 Uttar Pradesh was issued. Copy of the notice dated 22/03/2021 was also enclosed to **Health Worker (Mahila) Trg. Centre** situated at **Shahjahanpur, Dist. Shahjahanpur – 242001, Uttar Pradesh**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Health Worker (Mahila) Trg. Centre**. Even the institution **Health Worker (Mahila) Trg. Centre** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. **Health Worker (Mahila) Trg. Centre** has not taken admissions for ANM Course since 2010. The regulations of the Council provides that if any institution has not taken admission for 2 consecutive year, the said institution shall be treated as closed.

Now therefore, the Council in terms of the regulations, declares that with effect from 25/06/2022 the **Health Worker (Mahila) Trg. Centre** shall be treated as closed institution subject to orders of State government.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./341/2022-23]